Canada

Australian Government

Home Office UK Border Agency

BACKGROUNDER

कनाडा, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन संबंधी धोखाधड़ी से निपटना

कनाडा, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ऑस्ट्रेलिया आप्रवासन संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। वे बेईमान आप्रवासन एजेंटों की धर-पकड़ के लिए कई प्रयास कर रहे हैं।

कनाडा सरकार ने विवाह संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से हाल में कई उपायों की घोषणा की है। ऐसा ही एक उपाय जो प्रायोजित पति-पत्नियों या जीवनसाथियों को एक नया पति-पत्नी या जीवनसाथी पांच वर्ष तक प्रायोजित करने से रोकता है, मार्च 2012 में लागू किया गया। एक शर्त-आधारित स्थायी निवास की अवधि का भी प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत, एक कनाडाई या स्थायी निवासी द्वारा प्रायोजित किए जा रहे पति/पत्नी या जीवनसाथी को कनाडा में अपने स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के बाद अपने प्रायोजक के साथ दो वर्ष तक एक वैध संबंध में रहना अपेक्षित होगा।

यूके सरकार वैध आगंतुकों और मेधावी एवं सर्वोत्तम विद्यार्थियों और कामगारों के यूके में प्रवेश के वायदे को सुनिश्चित करते हुए वास्तविक प्रवासन को और वहनीय स्तरों तक कम करने के लिए यूके में प्रवेश के सभी प्रमुख मार्गों में सुधार कर रही है। काम, अध्ययन और कार्य-संबंधी स्थापन मार्गों में पहले किए जा चुके सुधारों के बाद हाल में परिवार प्रवासन नीति में भी परिवर्तन किए गए हैं और इससे सभी प्रमुख आप्रवासन नीतियों में सुधार पूरा हो जाता है।

वर्ष 2011 में, ऑस्ट्रेलिया ने सभी सामान्य कौशल संबंधी प्रवासन, व्यापार कौशलों और विद्यार्थी वीज़ा आवेदनों के लिए एक धोखाधड़ी संबंधी जनहित मानदंड (फ्रॉड पब्लिक इन्ट्रेस्ट क्राइटेरिया) या पीआईसी लागू किया। फ्रॉड पीआईसी ऐसे वीज़ा आवेदन को अस्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है जिसमें आवेदन के भाग के रूप में झूठी या गुमराह करने वाली सूचनाएं या जाली दस्तावेज दिए जाते हैं। ऐसे आवेदन में शामिल सभी आवेदकों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा और उनपर आगे वीज़ा देने के लिए, जो फ्रॉड पीआईसी के अध्यधीन होता है, तीन वर्ष का प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

तीनों ही सरकारें आप्रवासन संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एकजुट हैं और ऐसी अवैध गतिविधियों की धर-पकड़ जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं।

Canada